प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चमोली/पिथौरागढ़/पौड़ी/अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/
टिहरी/नैनीताल/चम्पावत/बागेश्वर/रूद्रप्रयाग/देहरादून।

पत्रांक/सेवायें-2/सेवा0अराज/14589-92 /तीन(ग)/28/2024-25 दिनांक27 सितम्बर, 2024

विषयः **राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत गेस्ट टीचरों की तैनाती/नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के दृष्टिगत माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-3781/xxiv-B-1/22-32(01)/2013 T.C.V. दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 द्वारा शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22-11-2018 के क्रम में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचर की तैनाती शासनादेश 1023 दिनांक 22-11-2018 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। सूच्य है कि शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22-11-2018 के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स0अ0 एल0टी0 एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों के प्रति गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से तत्समय ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे। तत्समय प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर विषयवार अवशेष अभ्यर्थियों में से प्रवक्ता संवर्ग के कुल 292 (रसायन विज्ञान 62, भौतिक विज्ञान 52, जीव विज्ञान 32, अंग्रेजी 100 एवं गणित 46) रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट सूचियां तैयार कर आपको ई मेल आई0डी0 एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-2(8) एवं प्रस्तर-2(11) में वर्णित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं विद्यालय का आवंटन करते हुये, निदेशालय के पत्रांक 27808-09 दिनांक 01 जनवरी, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों का संज्ञान लेते हुए जनपद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों से मिलान कर भली-भांति सत्यापन करवाने के उपरान्त शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में विहित व्यवस्थानुसार नियमानुसार 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैनाती देना सुनिश्चित करें।

गेस्ट फैकल्टी की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालयों में की जाय जहां शिक्षकों के अधिक पद रिक्त हों, एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

संलग्न-उक्तवत्।

भवदीय

27/9/24
(लीलाधर व्यास)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या/सेवायें-2/सेवा0अराज/14589-92 /तीन(ग)/28/2024-25 दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ/प्रमुख/निजी सचिव माननीय विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी को इस आशय से प्रेषित कि मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ लाने का कष्ट करें।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाये जाने हेतु प्रेषित्।

27/9/24
(लीलाधर व्यास)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।